



24

पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा (मूल्यांकन)

प्रत्येक देश प्रगति करने की दिशा में केवल निर्माण एवं व्यापार के द्वारा आर्थिक विकास के मार्ग में आगे बढ़ता है। प्रत्येक देश, उद्योग को इसलिए लगाता है जिससे रोजगार, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं धन कमाने का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

गत वर्षों में विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय संकटों को बिना ध्यान रखे हुए कार्यरत होती है। इसके फलस्वरूप नदियां और झीलें प्रदूषित हुयी, वायु प्रदूषण एक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया और औद्योगिक अवशिष्टों के एकत्रीकरण के कारण भूमि का अवक्रमण हुआ। औद्योगीकरण और आर्थिक वृद्धि ने जीवन के लिए सभी भौतिक सुख सुविधाएं एवं आरामदायक वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं लेकिन दूसरी तरफ जीवन के स्तर की गुणवत्ता में काफी गिरावट आ गयी है।

विकास की प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण को जो भारी नुकसान हुआ है, उसके फलस्वरूप लोग अब विकास योजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान देने लगे हैं। ई.आ.ए. (EIA) निर्णयों द्वारा लिए गए फैसलों का विकास संबंधी गतिविधियों पर पर्यावरणीय संबंधी प्रभाव का विश्लेषण करने में सहायक है। इसीलिए किसी भी विकासीय प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से पहले निर्णय किया जा सके।

इस पाठ के माध्यम से, आप पर्यावरण पर प्रभाव की समीक्षा (ई.आई.ए.) के विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि विकास संबंधी प्रक्रियाओं, महत्व, विधियों और कार्यों के पर्यावरण पर पड़ते दुष्प्रभाव को आंकने का एक साधन है।



इस पाठ के अध्ययन के समाप्ति के पश्चात, आप:

- पर्यावरण को औद्योगिक विकास के साथ-साथ सुरक्षित करने के महत्व की व्याख्या कर पाएंगे (ई.आई.ए. की आवश्यकता);
- ई.आई.ए. के तथ्य व कानूनी पहलू को परिभाषित कर पाएंगे;
- विकास योजनाओं के दुष्प्रभावों की कैसी अपेक्षा की जाए और उनसे कैसे निपटा जाए इस बात का मूल्यांकन कर पाएंगे;
- ई.आई.ए. की विधियों का वर्णन कर पायेंगे;



टिप्पणी

- भारत में प्रचलित ई.आई.ए. की प्रणालियों की रूपरेखा बता सकेंगे;
- पर्यावरणीय अनुमति एवं वनिकी अनुमति प्रक्रिया की विधियों की सूची बना सकेंगे;
- ई.आई.ए. के मूल्यांकन के वैकल्पिक रूपरेखा को समझा सकेंगे।

24.1 पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में ई.आई.ए. का महत्व

यह दुर्भाग्यपूर्ण है औद्योगिक विकास का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अधिकतर विकास संबंधी गतिविधियां जैसे कि बांधों, सड़कों, हवाई अड्डों, उद्योगों, रेल पटरियों एवं शहरों के विकास में प्राकृतिक संपदा को बड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में अपशिष्ट का निर्माण होता है, उसका निपटान पर्यावरण में किया जाता है। यही अपशिष्ट का निपटान वायु, भूमि और जल को हानि पहुंचाता है और प्राकृतिक संपदा का अपक्रमण भी करता है।

वैश्विक पर्यावरण का संरक्षण करना इस ग्रह पर रहने वाले हम सभी प्राणियों के हित में है। जैसा आपने पिछले पाठ में सीखा है कि बहुत-सी पर्यावरण-संबंधी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर, कई कदम उठाए जा चुके हैं।

उक्त बातों के संदर्भ में, यह आवश्यक हो जाता है कि प्रस्तावित विकास प्रक्रियाओं और मानवीय प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं और चुनौतियों को जानने की कोशिश की जाए। इन संभावी कठिनाइयों से जूझने की तैयारी को “पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा साधन या मूल्यांकन” (Environmental Impact Assessment, ई.आई.ए.) के नाम से जाना जाता है।

ई.आई.ए. निर्णय लेने की प्रक्रिया के विकास का एक हथियार है, और वह इस बात का आश्वासन दिलाता है कि जो योजना विचाराधीन है वह एक स्वीकार करने योग्य विकल्प है।

24.2 पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा संकल्पना और उसका कानूनी आधार

24.2.1 पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा की संकल्पना (EIA)


पिछले पाठों को पढ़ने के पश्चात, आपको यह विश्वास हो गया होगा कि आगामी पीढ़ियों के संरक्षण और खुशहाली के लिए सम्पोषित (दीर्घोपयोगी) विकास व पर्यावरण का संरक्षण कितना आवश्यक है।

यह पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा (ई.आई.ए.) है। ई.आई.ए. एक ऐसा साधन है जोकि प्रस्तावित विकास योजनाओं या कार्यक्रमों के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन में सहायक है, उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी जिनमें प्रदूषण, इत्यादि को कम करने की युक्तियां शामिल


हों। ई.आई.ए. एक ऐसा साधन है जो न केवल निर्णायक प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि निर्माणाधीन कार्यक्रम पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत है कि नहीं अथवा वह पारितंत्र की सम्मिलित और प्रजनन की क्षमताओं की सीमाओं के अधीन है या नहीं। किसी भी योजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति अब एक आम बात बन गई है। (चित्र 24.1क एवं 24.1 ख)



टिप्पणी



चित्र 24.1 (क): किसी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का पर्यावरणीय प्रभाव



चित्र 24.1 (ख): EIA के बाद लिया गया विकास योजना का संभावित पर्यावरणीय प्रभाव

ई.आई.ए. के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :-

- जोखिम की समीक्षा
- पर्यावरणीय प्रबंधन और
- उत्पाद के निर्माण के बाद का प्रबंधन (Monitoring)

ई.आई.ए. विकास योजनाओं के दुष्प्रभावों की समाप्ति या उन्हें न्यूनतम करने का एक खर्चे कम करने वाला तरीका है।

24.2.2 पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा के कानूनी आधार

ई.आई.ए. की प्रक्रिया का प्रारूप इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके निर्देशों का मूल रूप से कानूनी व नीतिपूर्वक पालन किया जाय। उदाहरणतः ई.आई.ए. की योजना निम्न प्रकार है :-



टिप्पणी

- (1) स्पष्ट प्रावधान के साथ एक प्राथमिक पर्यावरणीय साधन के रूप में सेवा प्रदान करना।
- (2) संभावी पर्यावरणीय प्रभावों के सब प्रस्तावों की ओर स्थायी रूप से लागू।
- (3) वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियां का सुझाव।
- (4) लघु काल, दीर्घ काल, छोटे व बड़े पैमाने के प्रभावों जैसे सभी संभावित कारकों को संबोधित करना।
- (5) स्वांगीकरण (सम्मिलन) की क्षमता, कैरिंग कॉर्सिटी (अधिकतम भार उठाने की सीमा), जैवविविधता का संरक्षण जैसे सम्पोषित पहलुओं पर ध्यान देना।
- (6) एक लचीली पद्धति को उजागर करता है व लोगों की भागीदारी को प्रदान करता है।
- (7) कार्य करने के पश्चात उसको दोबारा ध्यान देने की क्रियाविधि व उसका आवश्यक मांगों के अनुरूप होना।
- (8) प्रबंधन व मूल्यांकन (ऑडिटिंग) व मूल्यांकन की क्रियाविधियों को सम्मिलित करना।

नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में, सन् 1978 में भारत में पहली बार ई.आई.ए. को प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात, अन्य विकास कार्यों को अपने में शामिल करने के लिए ई.आई.ए. के कानूनी विधानों का दायरा बढ़ाया गया था। अब ई.आई.ए. तीस श्रेणियों की योजनाओं के लिए अनिवार्य है और इन योजनाओं को पर्यावरणीय अनुमति तभी मिलेगी, जब ई.आई.ए. की मांगे पूर्ण हो जाती हैं।

ई.आई.ए. पर्यावरणीय स्वास्थ्य और नियोजित विकास योजनाओं के सामाजिक प्रभावों से अवगत कराती है। इस प्रकार यह पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ते हैं। ई.आई.ए. का लक्ष्य पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित व सम्पोषित विकास को बढ़ावा देना है।



पाठगत प्रश्न 24.1

1. ई.आई.ए. को परिभाषित कीजिए व उसका विस्तार कीजिए।

2. ई.आई.ए. की आवश्यकता क्यों है? एक या दो वाक्यों में इसका उत्तर दीजिए।

3. ई.आई.ए. के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं?

24.3 पर्यावरणीय अनुमति

पर्यावरणीय अनुमति अथवा कार्य को आगे बढ़ाने का संकेत भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रभाव समीक्षा एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है।



केन्द्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाओं की अनुमति की मांग होती है, उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है -

1. उद्योग
2. खनन
3. तापीय ऊर्जा संयंत्र
4. नदी घाटियों की परियोजनाएं
5. बनावट और सी.आर.जे.डे (Coastal Regulation Zone, (CRZ)) तटीय नियंत्रण का क्षेत्र)
6. नाभिकीय शक्ति परियोजनाएं।

24.4 पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा में किस-किस चीज का मूल्यांकन होता है

पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित चीजें आवश्यक हैं:

- (1) वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति की समीक्षा।
- (2) पारितंत्र (वायु, जल, भूमि, जैविक) के विभिन्न कारकों की समीक्षा।
- (3) प्रस्तावित योजना के आरंभ होने से पहले उसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का विश्लेषण।
- (4) पड़ोस में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव।

24.5 ई.आई.ए. के पर्यावरणीय घटक

ई.आई.ए. की प्रक्रिया पर्यावरण के निम्नलिखित भागों के विषय में बात करती हैं:

वायु पर्यावरण

- परिवेश वायु की गुणवत्ता
- वायु की गति, दिशा, आर्द्रता, इत्यादि।



टिप्पणी

- योजना से संभावित निष्कासित सामग्री (प्रदूषित समाग्री) की मात्रा।
- निष्कासित विकिरक (प्रदूषण) सामग्री का क्षेत्र पर प्रभाव।
- प्रदूषण नियंत्रण की चाहत वायु की गुणवत्ता की प्रमाणिकता।

शोर

- शोर का वर्तमान स्तर व उसका संभावित स्तर।
- शोर के प्रदूषण को कम करने की युक्तियाँ।

जल-पर्यावरण

- किसी क्षेत्र में विद्यमान भूमिगत व सतही जल संसाधन, उनकी गुणवत्ता और मात्रा की पहचान।
- प्रस्तावित योजना का जल साधनों पर प्रभाव।

जैविक पर्यावरण

- प्रभाव क्षेत्र में पेड़-पौधे और जन्तुओं।
- निष्कासित बर्हिस्त्राव/विकिरकों व जगह की बनावट के कारण परियोजना को संभावी खतरा।
- जैविक तनाव (भविष्यवाणी)

भूमि पर्यावरण

- मृदा की विशेषताओं का अध्ययन, भूमि प्रयोग व नाली इत्यादि की प्रणाली, और परियोजना का संभावी दुष्प्रभाव।
- ऐतिहासिक इमारतों व परंपरागत इमारतों पर प्रभाव।

परियोजना से उभरते हुए अपेक्षित आर्थिक लाभों की समीक्षा को उक्त दिए गए सब कारकों से तुलना करनी चाहिए।

अतः हमें यह कह सकते हैं कि किसी योजना को तैयार करने के निर्णय में पर्यावरणीय मुद्दों को भी शामिल करना होगा।

**पाठगत प्रश्न 24.2**

1. पर्यावरणीय अनुमति का क्या अर्थ है?

2. इस प्रकार की अनुमति की मांग वाली किन्हीं तीन योजनाओं के नाम लीजिए।

3. ई.आई.ए. के किन्हीं दो पर्यावरणीय घटकों के नाम लीजिए।
-



टिप्पणी

24.6 ई.आई.ए. प्रक्रिया व प्रणालियां

ई.आई.ए. (EIA) की प्रक्रिया एवं विधि में कई घटक शामिल हैं। उनमें से प्रत्येक का अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है।

24.6.1 EIA प्रक्रिया को किये जाने की विधि

ई.आई.ए. रिपोर्ट की तैयारी में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं :-

- प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से मूलरेखा के आंकड़ों का एकत्रीकरण करना।
- गणितीय मॉडल (आधार) व पिछले अनुभवों पर आधारित प्रभावों की संभावनाओं की भविष्यवाणी।
- विकास के प्रभाव बनाम औसत व्यय के लाभ का मूल्यांकन; प्रभावों को न्यूनतम सीमा तक कम करने के लिए पर्यावरणीय संचालन योजनाओं की तैयारी।
- योजना के प्रबंधन व हानि कम करने के प्रयासों के आर्थिक व्यय की गणितीय मूल्यांकन।
- प्रभावों को न्यूनतम स्तर तक लाने में पर्यावरणीय संचालन योजनाओं की तैयारी।
- प्रबंधन (मानीटरिंग) की योजना व दुष्प्रभावों को न्यूनकरण तक रखने के आर्थिक व्यय का गणितीय (संख्यात्मक) अनुमान लगाना।

24.6.2 ई.आई.ए. प्रक्रिया के चरण

इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं। परन्तु ई.आई.ए. प्रक्रिया चक्रीय होती है, जो कि विभिन्न चरणों के साथ मेल बनाए रखती है :

- छानबीन (Screening):** किसी प्रोजेक्ट की योजना की छानबीन निवेश का पैमाना, स्थिति और विकास के प्रकार के लिए की जाती है और यदि प्रोजेक्ट को वैधानिक अनुमति की आवश्यकता है।
- पैमाना तय करना (Scoping):** योजना के संभावी प्रभाव, प्रभाव के क्षेत्र, दुष्प्रभाव कम करने की संभावनाएं और प्रबंधन (मानीटर) की आवश्यकता है। ई.आई.ए. एजेंसी को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) द्वारा प्रकाशित निर्देशों को ध्यान में रखकर कार्य करना है।
- मूलरेखा आंकड़ों का एकत्रीकरण:** मूलरेखा आंकड़े अध्ययन के क्षेत्र के पर्यावरण का निरीक्षण करना होता है।
- प्रभाव की भविष्यवाणी :** सकारात्मक और नकारात्मक, प्रतिवर्ती और अप्रतिवर्ती, अस्थायी और स्थायी प्रभावों की भविष्यवाणी, जिसके लिए समीक्षा एजेंसी द्वारा योजना की अच्छी समझ होना जरूरी है।



टिप्पणी

- **न्यूनीकरण के चरण और ई.आई.ए. रिपोर्ट:** ई.आई.ए. रिपोर्ट में बचाव व न्यूनतम करने की प्रक्रिया के कार्य और चरण शामिल होने चाहिए अथवा संभावी पर्यावरण की हानि या क्षति को भरपाई करने की क्षमता होनी चाहिए।
- **लोक सुनवाई :** ई.आई.ए. रिपोर्ट के पूरा होने पर, योजना स्थल के निकट रहने वाले लोगों और पर्यावरणीय समूहों को सूचित कर देना चाहिए व उनसे मिलजुलकर बात भी करनी चाहिए।
- **निर्णय-प्रक्रिया :** ई.आई.ए. और ई.एस.पी. (Environmental Management Plan, पर्यावरण संचालन योजना) को ध्यान में रखते हुए, ई.आई.ए. अधिकारीगण को विशेषज्ञों से बातचीत के जरिए अंतिम निर्णय लेना चाहिए।
- **मानीटर करना और पर्यावरण संचालन योजना का लागूकरण:** परियोजना के विभिन्न चरणों का मॉनीटर करते हैं।
- **जोखिम की समीक्षा :** सूचिका-विश्लेषण और खतरे की संभावना और निर्देशिका भी ई.आई.ए. प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग है।

24.6.3 पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा के लिए बनाई गई विशेषज्ञ कमेटियों की संघटना

1. इन कमेटियों में निम्नलिखित विषयों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे :
 - (1) पारितंत्र प्रबंधन समिति
 - (2) वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण
 - (3) जल संसाधन प्रबंधन
 - (4) जन्तुजात/पादपजात का संरक्षण व प्रबंधन
 - (5) भूमि प्रयोग का नियोजन
 - (6) सामाजिक विज्ञान/पुनर्वास
 - (7) योजना का निरीक्षण
 - (8) पारिस्थितिकी विज्ञान
 - (9) पर्यावरणीय स्वास्थ्य
 - (10) विषय-क्षेत्र विशेषज्ञ
 - (11) स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि/पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े व्यक्ति।
2. चेयरमैन (मुख्य संचालक) को एक बेहतरीन पर्यावरण विशेषज्ञ अथवा तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए। जिसे संबद्ध विकास के क्षेत्र में विस्तृत प्रबंधन की जानकारी व अनुभव होना चाहिए।
3. प्रभाव समीक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि को सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत होना चाहिए।
4. मुख्य संचालक (अध्यक्ष) व सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के तहत कार्यरत होंगे। जिनका विशेषकर प्रतिनिधियों की भूमिका में चयन हुआ है, वे ही अलग होकर अपना कार्यभार संभालेंगे।

5. किसी भी कमेटी की सदस्यता 15 सदस्यों से ज्यादा नहीं होगी।

24.7 भारत में पर्यावरण की समीक्षा की प्रणाली

किसी भी योजना की जांच में पहले पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा समीक्षा कमेटी का गठन होता है। यह कमेटी योजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर योजना के प्रभाव के मूल्यांकन पर आधारित है। जरूरत पड़ने पर, पर्यावरण व वन मंत्रालय का विशिष्ट मुद्दों पर निवेशकों और विशेषज्ञों के साथ सलाह-मशविरा अत्यन्त आवश्यक है।

योजनाओं के समस्त पहलुओं पर ध्यान करने के पश्चात, पर्यावरण-संरक्षण विधियां सामने लाई जानी चाहिए। उन योजनाओं के संबंध में, जहां योजना के प्रस्तावकों ने संपूर्ण जानकारी दी है, वहां 90 दिनों के समय के अंतर निर्णय लिया जाना चाहिए। शिलांग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बंगलूरू, लखनऊ और भोपाल में कार्यरत छः क्षेत्रीय कार्यालय निर्मित योजनाओं को अनुमति प्रदान करते हैं। इस प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य प्रस्तावित सुरक्षा विधियों की पर्याप्तता का जायजा लेना है और उसका यह भी उद्देश्य है कि समयानुसार उनमें सुधार किए जा सकें। योजना में परिवर्तन के पैमाने को पहचानकर इसलिए जांच लिया जाता है ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि पिछले निर्णय का पुनरीक्षण आवश्यक है या नहीं।

तटीय क्षेत्र संचालन योजनाएं (Coastal Zone Management Plans CZMPs, सी.जेड.एम.पी.) सी आर जेड अधिसूचना 1991 द्वारा तैयार किए गए निर्देशों के तहत तटीय प्रदेशों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार किया जाता है। यह विभिन्न प्रक्रियाओं के संदर्भ में तटीय क्षेत्रों की पहचान व वर्गीकरण के आधार पर तैयार होता है तथा बाद में उसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अनुमति देने के लिए उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। तब मंत्रालय एक कार्यगुट (Task force) का गठन, इन योजनाओं की समीक्षा के लिए करता है। कभी-कभी एक या एक से अधिक प्राकृतिक संसाधन एक क्षेत्र में सीमित साधन का रूप धारण कर लेते हैं। इससे विकास विभागों का कार्यक्षेत्र संकुचित हो जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में भारक क्षमता (अधिकतम भार उठाने की सीमा) संबंधी अध्ययन का समर्थन कर रहा है। इस अध्ययन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

- उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की सूची।
- मौजूद पर्यावरणीय स्थितियों की तैयारी।
- प्रस्तावित योजनाएं व प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभाव। यह सब ठीक ठाक चल रहा है स्थिति के निर्माण द्वारा है।
- हॉट-स्पाटों की पहचान जिसमें वायु, जल और भूमि प्रदूषण से तुरंत जूझने की क्रियाएं शामिल हैं।
- एक स्थिति के बेहतर करने की विकास योजना का निर्माण। 'सब ठीक ठाक' के रवैये और स्थिति को बेहतर बनाने की योजना में तुलना। इससे क्षेत्र के विकास के लिए भविष्य की योजनाएं विकसित की जाएंगी। स्थानीय लोगों व नियोजकों से सहयोग के जरिए यह संभव हो सकता है।



टिप्पणी



टिप्पणी

24.8 पर्यावरणीय निकास/अस्वीकृति पत्र के मुद्दे

सिंगल विन्डो अनुमति

जब कभी किसी योजना को वन (संरक्षण) कानून, 1980 के तहत पर्यावरणीय अनुमति के साथ साथ विकास की आवश्यकता हो, तब दोनों के प्रस्तावों को एक साथ मंत्रालय के संबंधित विभागों को दे देना चाहिए। अनुमति व अस्वीकृति, दोनों की क्रियाविधि एक साथ की जाती है, बल्कि इसके लिए भिन्न-भिन्न पत्र जारी किए जा सकते हैं। यदि योजना में वन क्षेत्र के दिक्परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तब इस केस की प्रक्रियाएं केवल पर्यावरणीय अनुमति के लिए होती हैं। (वन अनुमति संबंधी अन्य मुद्दों पर कृपया चित्र 24.2 देखिए।

समयावधि

एक बार जब परियोजना अधिकारियों से सब जरूरी कागजात और आंकड़े मिल जाते हैं और लोक सुनवाइयां (जहां कहीं आवश्यक हों) हो चुकी होती हैं, तब पर्यावरण की दृष्टि से योजना की समीक्षा व मूल्यांकन 90 दिनों में पूरा कर लिया जाता है और मंत्रालय का निर्णय इसके बाद के 30 दिनों के भीतर पहुंचा दिया जाता है।

परियोजना के पूर्ण होने के बाद की प्रक्रिया को मॉनीटर करना

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी किसी योजना को पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त होती है, तब मामला दर मामले के आधार पर समीक्षा कमेटी द्वारा सुझावों व शर्तों का अनुबंधन होता है। परियोजना के आयोजित होने के पश्चात परियोजना के प्रस्तावक को इसके लिए स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। यह परियोजना अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वे शर्तों के अनुबंधन से संबद्ध मंत्रालय के पर्यावरणीय अनुमति निर्देश की अर्धवर्षीय हामी भरने की रिपोर्ट को मंत्रालय के सुपुर्द करें। समीक्षा आयोग द्वारा अनुबंधित सुझावों व शर्तों के लागूकरण की अनुमति के लिए। मंत्रालय के छः क्षेत्रीय कार्यालय - शिलांग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बंगलूरु, लखनऊ और भोपाल निकासित योजनाओं की समापन के पश्चात प्रबंधन करते हैं।

विकसित योजनाओं द्वारा सुझावों व शर्तों के हामी न भरने वाले मामलों पर मंत्रालय के ध्यान में रखा जाता है, जो कि योजना अधिकारियों के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। इसका विवरण भाग- 24.10 के साथ-साथ प्रवाह चार्ट नं. 3 (पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कराने वाला प्रवाह चार्ट) में दर्शाया गया है।



पाठगत प्रश्न 24.3

- ई.आई.ए. के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए।

2. भारत ने उन छः क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम बताइये, जो निकासित योजनाओं की अनुमति का कार्य करते हैं।

3. पर्यावरणीय अनुमति या अस्वीकृति पत्र के प्रमाणित होने में कौन-कौन से चरण शामिल हैं?




टिप्पणी

24.9 ई.आई.ए. के मुख्य भागीदार

ई.आई.ए. सार्वजनिक तथा निजी विभागों, दोनों पर लागू है। इसके छः मुख्य भागीदार निम्न हैं:

1. वे जो योजना के प्रस्तावक हैं।
2. वह पर्यावरणीय सलाहकार जो कि ई.आई.ए. की योजना प्रस्तावक के लिए तैयारी करता है।
3. प्रदूषण-नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय या राष्ट्रीय)
4. लोकजन जनता को अपनी बात सामने रखने का हक है।
5. प्रभाव समीक्षा एजेंसी।
6. पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय केंद्र।




चित्र 24.2: ई.आई.ए. के भागीदार

24.10 पर्यावरणीय अनुमति

संपूर्ण ई.आई.ए. प्रक्रिया को पर्यावरणीय विकास की प्राप्ति निम्न चार्ट में संक्षिप्त रूप में विवरित है :



टिप्पणी




24.11 वानिकी की अनुमति

अनुमति प्रक्रिया की विधि नीचे दिये गये प्रवाह चार्ट में स्व-वर्णित की गयी है।

वानिकी अनुमति प्राप्त करना

FC एक्ट के अंतर्गत किसी केस के परीक्षण में उपयोगी विभिन्न कदमों को प्रवाह चार्ट में दिखाया गया है।





टिप्पणी

24.12 ई.आई.ए. के मूल्यांकन का वैकल्पिक दृश्य-लेख

एक प्रभावी ई.आई.ए. क्रिया केंद्रित, समयबद्ध, व्यय प्रभाव और समीक्षा को पूर्ण समझाने लायक होती है।

इसका मुख्य उद्देश्य एक ही होता है— विकास योजना के निर्माण व लागूकरण के दौरान पर्यावरणीय हानि की किसी भी स्थिति को समाप्त कर देना है। इसको योजना के स्थल व आसपास रहने वाली जनता व लोकजनों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

ई.आई.ए. का मूल्यांकन केवल निम्न परिस्थितियों में संभव है— (क) जब उन लोगों में इस विषय में संचेतना है, जो कि पर्यावरणीय गुणवत्ता और लागूकरण के लिए जिम्मेदार है। (ख) जब ई.आई.ए. रिपोर्ट और उसमें पाई गई जानकारी विश्वसनीय हो।



पाठगत प्रश्न 24.4

1. वन-योजनाओं के निकास की कौन अनुमति देता है?

2. सरकार के अतिरिक्त ई.आई.ए. के दो अन्य भागीदार हैं— उनके नाम लीजिए।

3. निम्न कथन, “‘ई.आई.ए. का मूल्यांकन तभी संभव है जब ई.आई.ए. की रिपोर्ट विश्वसनीय हो’” का क्या अर्थ है?

केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किए जाने वाली योजनाओं की सूची

1. नाभिकीय शक्ति व संबंधित योजनाएं— जैसे जल संयंत्रों, नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लैक्स, विलक्षण जमीन।
2. नदी-घाटी परियोजनाएं जिनमें जल-ऊर्जा सिंचाई की मुख्य क्रियाएं व बाढ़ के नियंत्रण की क्रियाएं शामिल हैं।
3. बन्दरगाह, हार्बर, हवाई अड्डे (छोटे आकार के बन्दरगाहों व हार्बरों के अतिरिक्त)
4. पेट्रोलियम रिफाइनरियां जिनमें कच्चे तेल व उत्पाद वाली पाइप लाइनें शामिल हैं।
5. रासायनिक खादें (एकमात्र सुपरफॉस्फेट के अलावा नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फोरसयुक्त)
6. पीड़कनाशक (तकनीकी)
7. पेट्रोल रसायनों कॉम्प्लैक्स (दोनों आलीफिनिक एवं एरोमेटिक) व पेट्रोरसायनिक मध्यवर्ती

पदार्थ जैसे डी.एम.टी., कैप्रोलैक्टम, एल.ए.बी., इत्यादि तथा एल.डी.पी.ई., एच.डी.पी. ई, पी. पी., पी.बी.सी. जैसे मूल प्लास्टिकों का निर्माण।

8. बड़ी मात्रा में औषधियां एवं दवाइयां।
9. गैस एवं तेल की खोज व उनका उत्पादन, परिवहन व संग्रहण के उद्देश्य से।
10. कृत्रिम रबड़
11. एस्बेस्टोस व एस्बेस्टोस के उत्पाद
12. हाइड्रोसाइनिक अम्ल व उससे निकाले गए पदार्थ।
13. प्राथमिक धातु उद्योग (जैसे लोहा और स्टील का निर्माण, एलुमिनियम, तांबा, जिंक, लेड व लोहा के धातु मिश्रण)
14. क्लोर-एल्कली उद्योग
15. समाग्रित पेंट कॉम्प्लैक्स- जिसमें पेन्टों के निर्माण की मूल कच्ची सामग्री और रेजिन, इत्यादि का निर्माण शामिल है।
16. विस्कोस स्टेपल रेशे और तन्तु सूत।
17. संग्रहित रखने की बैटरियां जो कि लेड और लेड एन्टीमनी धातु के मिश्रण की ऑक्साइडों से मिश्रित हैं।
18. 200-500 मीटर की ऊँची पानी लाइन के बीच के सब पर्यावरण योजनाएं, और व स्थल जो कि 1000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं और जिनमें से पांच करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है।
19. तापीय ऊर्जा संयंत्र
20. खनन योजनाएं (जिनकी 5 हेक्टेयर से अधिक की पृष्ठभूमि है)
21. हाइवे योजनाएं- बेहतरी के कार्य से संबंधित योजनाओं के अतिरिक्त इसमें उन सड़कों का विस्तृतीकरण का मुद्दा शामिल है जो कि वनीय क्षेत्रों, नेशनल पार्कों, अभ्यारणों, टाइगर अभ्यारणों, संरक्षित वनों के बीच में से नहीं गुजरते हैं।।
22. तारकोल के बनाए गए हिमालय व वन-क्षेत्रों की सड़कें।
23. आसवनियां
24. कच्ची चमड़ी व खाल
25. कागज का लुगदी, कागज और न्यूज़प्रिंट
26. रंजक
27. सीमेंट
28. ढलाईघर (व्यक्तिगत)
29. बिजली की प्लेटिंग (इलक्ट्रोप्लेटिंग)
30. मेटा अमीनोफीनोल



टिप्पणी



टिप्पणी



आपने क्या सीखा

- विकासीय परियोजनाएं किसी भी देश की आर्थिक उन्नति व प्रगति के अभिन्न अंग हैं।
- विकासीय परियोजनाओं व कार्यक्रमों को पर्यावरण पर दुष्प्रभाव से संरक्षण के लिए उसके लागूकरण के पहले ई.आई.ए. (पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा) का करना आवश्यक हो गया है।
- हालांकि विकास आवश्यक है, उससे भी अधिक जरूरी है पर्यावरण संरक्षण, ताकि सम्पोषित विकास हो सके और पर्यावरणीय संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध रहे।
- ई.आई.ए. एक साधन है जो कि विकास की क्रियाओं का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव माप लेता है। यह साधन तभी किसी प्रस्तावित योजना का विकास करता है, जब वह पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का पूरा जायजा ले लेता है।
- एक यंत्र के रूप में, ई.आई.ए. न केवल निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित करता है।
- ई.आई.ए. के माध्यम से, एक योजना का लागूकरण, पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचा कर ही हो जाता है।
- ई.आई.ए. के महत्वपूर्ण पहलू हैं (i) जोखिम की समीक्षा, (ii) पर्यावरणीय प्रबंधन और (iii) पदार्थ की तैयारी के पश्चात की मानीटिंग करना।
- एकाग्रता, उपयोग-क्षमता और सम्पोषणता ई.आई.ए. का केंद्रीय मूल है।
- ई.आई.ए. के कई कानूनी आधार हैं। वह न केवल पर्यावरणीय स्वरूप की समीक्षा करता है, बल्कि नियोजित विकास योजनाओं के सामाजिक प्रभाव को भी मद्देनजर रखता है।
- भारत के जिन योजनाओं को सरकार द्वारा अनुमति प्राप्ति की आवश्यकता होती है, वे प्रायः उद्योगों, खनन, तापीय ऊर्जा संयंत्रों, नदी-घाटी योजनाओं, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं और तटीय नियंत्रण क्षेत्र (सी.आर.जेड) से संबंधित हैं।
- ई.आई.ए. के पर्यावरणीय अंग वायु, जल, जीवों, शोर और भूमि से संबंधित हैं।
- ई.आई.ए. रिपोर्ट निम्नलिखित क्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात की जाती है :-
 - मूलरेखा आंकड़ों का एकत्रीकरण
 - प्रभाव की भविष्यवाणी
 - औसत दाम का लाभ बनाम प्रभावों का विकास का मूल्यांकन।
 - मानीटर करने की युक्तियां, हानि कम करने की युक्तियां व उनके आंकड़ों द्वारा आकलन।
 - पर्यावरणीय प्रबोधन की योजनाएं।

- ई.आई.ए. की मुख्य प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं- छानबीन, पैमाना तय करना, मूलरेखा आंकड़ों का संकलन, प्रभावों का अंदाजा, हानि कम करने की दिशा में उठाए गए कदम, लोकसुनवाई, निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रबोधन, ई.एम.पी. का लागूकरण और जोखिम की समीक्षा।
- पारितंत्र प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, साधन संचालन, भूमि प्रयोग का नियोजन, पुनर्निवास योजना की समीक्षा, पर्यावरण विज्ञान तथा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित गैर-सरकारी संगठन के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
 - (1) भारत में पर्यावरणीय समीक्षा की प्रणाली निवेशक द्वारा जरूरी कागज-पत्रों की सुपुर्दगी है।
 - (2) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विभिन्न विभागों के स्टॉफ द्वारा आवरण।
 - (3) विशेषज्ञों के सम्मुख रखना व उनके द्वारा मूल्यांकन।
 - (4) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की समीक्षा आयोग द्वारा सुझाव।
 - (5) मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों की स्वीकृति या अस्वीकृति।
- अनुमति या अस्वीकृति के मुद्दे हैं- (1) एकमात्र विन्डो निकास (2) समय-सारिणी, और (3) योजना के समाप्ति के पश्चात मानीटर करना।
- ई.आई.ए. के भागीदार यह हैं- (1) योजना को प्रस्तावित करने वाला विकासकर्मी, (2) योजनाओं का नियंत्रण करने वाले सरकारी विभाग और (3) आम जनता।
- वन निकास या विभिन्न योजनाओं के पर्यावरणीय निकास की प्राप्ति के कई चरण हैं।
- एक प्रभावशाली ई.आई.ए. केंद्रित, समय-सारिणी में बंधा हुआ, दाम में सक्षम व विश्वसनीय है।
- पर्यावरणीय अनुमति की मांग रखने वाली 30 योजनाएं हैं।

टिप्पणी



पाठांत्र प्रश्न

1. ई.आई.ए. क्या है?
2. ई.आई.ए. महत्वपूर्ण क्यों है?
3. पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध विकास की महत्ता का विवरण दीजिए।
4. ई.आई.ए. के तीन केंद्रीय मूल्यों का वर्णन कीजिए।
5. ई.आई.ए. के कानूनी आधारों को गिनिए।
6. पर्यावरणीय अनुमति का क्या मानक है?



टिप्पणी

7. किन योजनाओं के लिए पर्यावरण-अनुमति अनिवार्य हो जाती है?
8. ई.आई.ए. के अधीन किस-किस की समीक्षा होती है?
9. ई.आई.ए. की विशेषज्ञ कमेटी की संघटना में कौन-कौन शामिल है?
10. ई.आई.ए. की प्रक्रिया के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए।
11. ई.आई.ए. के विशेषज्ञों को कहां-कहां से शामिल किया जाता है?
12. पर्यावरणीय समीक्षा की प्रणाली के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।



पाठ्यगत प्रश्नों के उत्तर

24.1

1. पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा। किसी भी विशेष विकासीय क्रिया द्वारा उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्याओं एवं खतरों को आंकने का यह एक साधन है।
2. विकासीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण को होने वाली हानि से संरक्षण।
3. जोखिम का संचालन, पर्यावरण का संचालन, पदार्थ के तैयार होने के बाद का प्रबोधन।

24.2

1. विकासीय गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की अनुमति।
2. उद्योग/खनन/तापीय ऊर्जा संयंत्र/नदी घाटी परियोजनाएं/नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं (कोई भी तीन)
3. वायु/भूमि/जल/जैविक/शोर (कोई भी दो)

24.3

1. छानबीन, पैमाना तय करना, मूलरेखा आंकड़ों का संकलन, प्रभावों की भविष्यवाणी, ई.आई.ए. रिपोर्ट व दुष्प्रभाव कम करने के कदम, लोकसुनवाई, निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रबोधन व पर्यावरण संचालन का लागूकरण, जोखिम का संचालन।
2. शिलांग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बंगलूरू, लखनऊ और भोपाल।
3. एकमात्र विन्डो निकास, समय-सारिणीबद्ध, पदार्थ तैयार होने के बाद की मानीटरिंग।

24.4

1. भारत सरकार, वन मंत्रालय।
2. विकास-कर्ता और आम जनता।
3. ई.आई.ए. रिपोर्ट, ई.आई.ए. की प्रक्रिया और प्रणाली के बिल्कुल अनुरूप होनी चाहिए।